



2026:AHC:18172

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 22354 वर्ष 2025

आवेदक :- धीरेंद्र

विपक्षी :- उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : अहमद फरहान, हया रिज़वी

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता सुश्री हया रिज़वी एवं राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा वर्तमान जमानत आवेदन थाना - खानपुर, जनपद - बुलंदशहर के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 189 वर्ष 2024, धारा 85, 103 भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में स्वयं को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि घटना के दिन परिवार में विवाह समारोह था और उस समय घर में बहुत से लोग उपस्थित थे, किन्तु कु. तनु के अतिरिक्त घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्ष्य नहीं है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप असत्य हैं। मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट के परिणामस्वरूप हुआ आघात है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक अपनी कारावास की अवधि के आधार पर जमानत का हकदार है क्योंकि वह 15.07.2024 से जेल में निरुद्ध है और उसके कारावास को डेढ़ वर्ष बीत चुका है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि मृतक की मृत्यु आवेदक के घर के परिसर के भीतर हुई थी।
7. दिनांक 04.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, सात गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है और विचारण अपने निर्णायक चरण में है।
8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतक का पति है और उसकी मृत्यु उसके घर के परिसर के भीतर हुई थी तथा मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व सिर की चोटें हैं, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ। जमानत आवेदन गुण-दोष विहीन पाया जाता है और तदनुसार **निरस्त** किया जाता है।
9. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220** तथा **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702** के हालिया निर्णयों में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का यथासंभव शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।